UPRB010065672022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–**सतीश कुमार त्रिपाठी,**

(उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP1537

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–3056/2022

1–कुमारी कंचन पुत्री बहादुर लोध,
2–श्रीमती महराना पत्नी विपाती लोध,
निवासीगण ग्राम–हरनी, थाना–हरचन्दपुर, जिला–रायबरेली।

..... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उ०प्र० द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रायबरेली। .....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–399/2019
धारा–323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता
व धारा–3 (1)(द) (ध) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना–हरचन्दपुर, जिला–रायबरेली।

दिनांक–08.02.2023

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण–**कुमारी कंचन पुत्री बहादुर लोध, श्रीमती महराना पत्नी विपाती लोध** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र मुकदमा अपराध संख्या–399/2019 धारा–323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा– 3 (1) (द) (ध) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–हरचन्दपुर, जिला–रायबरेली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय सत्र लिपिक की आख्या के अनुसार अपराध संख्या–399/2019 धारा–323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा– 3 (1) (द) (ध) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–हरचन्दपुर, जिला–रायबरेली में अभियुक्तगण **कुमारी कंचन पुत्री बहादुर लोध, श्रीमती महराना पत्नी विपाती लोध** का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा वादी मुकदमा को अन्तर्गत धारा 15A(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 सूचित किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–17.11.2019 समय लगभग–4 बजे सायं वादी का भाई जानवर चराने गया था, अभियुक्तगण ने माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लात–घूसों थप्पड़ों से मारा व डन्डों व दराती से मारा–पीटा और विपक्षीगणों ने कहा साले पासी चमारों को जान से खत्म कर दूंगा।

प्रार्थिनी/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र व संलग्न शपथपत्र में उल्लिखित कथन के आधार पर मुख्य रूप से निवेदन किया है कि अभियुक्तागण को **सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो आंफ इन्वेस्टीगेशन एण्ड एनअदर (2021) 10 एस०सी०सी० 773, सिद्धार्थ बनाम द स्टेट आंफ उत्तर प्रदेश एण्ड**

एनाअदर 2022 (1) एस०सी०सी० 676 एण्ड अमन प्रीत सिंह बनाम सी०बी०आई० थ्रू डायरेक्टर 2021 एस०सी०सी० आनलाइन 941 में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर प्रार्थिनी/अभियुक्तागण को जमानत प्रदान किये जाने की याचना करते है। प्रार्थिनीगण को 41ए दं०प्र०सं० को नोटिस दी गयी, जिसमें प्रार्थिनीगण ने विवेचना में पूर्ण सहयोग किया तथा पुलिस द्वारा उपरोक्त अपराध में प्रार्थिनीगण की गिरफ्तारी नहीं की गयी है। प्रार्थिनीगण का स्पेशिफिक रोल नहीं दिखाया गया है। प्रार्थिनीगण निर्दोष है तथा रंजिशन प्रार्थिनी कंचन द्वारा लिखायी गयी, रिपोर्ट से बचने के लिए सलाह मशविरा के बाद झूंठी दर्ज करायी गयी है। प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनीगण अपनी–अपनी विश्वसनीय जमानते दाखिल करने को तैयार है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थिनीगण का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में न तो लंबित है और न ही खारिज किया गया है। दौरान विचारण प्रार्थिनीगण का जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

इन एवं अन्य आधारों पर प्रार्थिनी /अभियुक्तागण ने जमानत पर मुक्त करने के लिए निवेदन किया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया है और प्रार्थिनी /अभियुक्तागण के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने का कथन किया है।

यह स्पष्ट है कि कोर्ट मोहर्रिर द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है कि अभियुक्तागण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं है और अभियुक्तागण की जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्तागण की ओर से ऊपर अंकित है कि अभियुक्तागण अभिरक्षा में नहीं है परन्तु प्रश्नगत प्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० प्रस्तुत करते हुए प्रार्थिनी /अभियुक्तागण द्वारा विचारण की अवधि तक के लिए जमानत पर मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सी०बी०आई० व अन्य** में जमानत दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किया गया है और समस्त अपराधों को चार कैटेगरी में विभाजित किया गया है और यह आवश्यक शर्त होना बताया है कि दौरान विवेचना आवेदक /अभियुक्त की गिरफ्तारी न हुई हो और अभियुक्तगणों द्वारा विवेचनाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर विवेचना में पूर्ण सहयोग किया गया हो। इन दोनों आवश्यक शर्तों के पूर्ण होने के उपरान्त, **"कैटेगरी ए"** जिसमें उन अपराधों को शामिल किया गया है, जिसमें अधिकतम दण्डादेश 7 वर्ष या उससे कम की हो, के मामले में बिना अभियुक्तगणों को अभिरक्षा में लिये हुए उनके जमानत आवेदनपत्र का निस्तारण किया जाना चाहिए।

इस प्रकारण में अभियुक्तागण के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा– 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा– 3 (1) (द) (ध) एस०सी०/एस०टी० एक्ट प्रस्तुत किया गया है। इन अपराधों के लिए अधिकतम कारावास 7 वर्ष तक की अवधि का है। अतः अभियुक्तागण का अपराध माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित **"कैटेगरी ए"** के अन्तर्गत आता है। माननीय उच्तम न्यायालय द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों के आलोक में थाने से आख्या आहूत किया गया।थाना आख्यानुसार अभियुक्तागण द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है और उन्हें दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियुक्तागण द्वारा आवश्यक शर्तों का पालन भी पूर्ण रूप से किया गया है।

प्रकरण में विवेचना समाप्त हो चुकी है तथा आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्तागण का कोई आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन का ऐसा कोई कथन नहीं है कि

अभियुक्तागण को जमानत पर रिहा किये जाने पर उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित किये जाने की सम्भावना है।

उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सी०बी०आई० व अन्य** के प्रकाश में तथा अभियोजन कथानक, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विशेष लोक अभियोजक के तर्को, अभियुक्ता की जेल में निरूद्धि, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, गम्भीरता तथा अभियुक्त की भूमिका एवं दण्ड की कठोरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये, अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः प्रार्थिनी /अभियुक्तागण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी /अभियुक्तागण **कुमारी कंचन पुत्री बहादुर लोध, श्रीमती महराना पत्नी विपाती लोध** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–399/2019 धारा–323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा– 3 (1) (द) (ध) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–हरचन्दपुर, जिला–रायबरेली में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है।

प्रार्थिनी /अभियुक्तागण द्वारा उपरोक्त अपराध में **पचास हजार रूपये** का निजी बन्धपत्र एवं उसी धनराशि की दो जमानतें और इस आशय का अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर कि

1– वह अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगीं व गवाहों को डरायेगीं, धमकायेगीं नहीं।

2–जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी अपराधिक गतिविधियों में या अन्य अपराध कारित करने में सम्मिलित नहीं होगीं।

3–वह मुकदमें के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करेंगी और साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर जब साक्षीगण न्यायालय उपस्थित हो, स्थगन नहीं लेगीं।

4–वह अभियोजन द्वारा अभियोजन प्रारम्भ करने की तिथि पर, आरोप विरचित किये जाने की तिथि पर तथा धारा 313 दं०प्र०सं० का बयान अभिलिखित किये जाने की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगी तथा न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेंगी।

5–दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 की उप धारा 1 के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान व विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने पर असफल रहने पर उसके विरूद्ध धारा 174 क भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

6–जमानत या बन्धपत्र पत्र की निबन्धनों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना हाजिर होने में असफल होने पर उसके विरूद्ध धारा 229 क भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जा सकेगी, जमानत पर रिहा किया जाये।

(सतीश कुमार त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
रायबरेली।

आशुलिपिक
सत्य प्रकाश यादव

Digitally signed by Satish Kumar Tripathi
Date: 2023.02.09 16:43:15 IST
Reason: Bail Application Allowed
Location: District and Sessions Court, Raebareli.